झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

संकल्प

विषयः– राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान दर 150/– रूपये से बढ़ाकर 250/– रूपये करने एवं मासिक रू0 5000/– (पाँच हजार रूपये) से बढ़ाकर 12500/– (बारह हजार पांच सौ रूपये) करने की स्वीकृति।

अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में नियमित शिक्षकों की कमी एवं नये पाठ्यक्रमों में पद सृजन के अभाव होने के कारण संस्थान द्वारा अंशकालीन व्याख्याताओं से पठन–पाठन का कार्य पूरा कराया जाता है। वर्त्तमान में पोलिटेकनिक संस्थानों में अंशकालीन व्याख्याताओं को 150/– रूपये प्रति व्याख्यान, अधिकतम मासिक रू0 5000/– (पाँच हजार रूपये) मात्र भुगतान किया जाता है एवं अभियंत्रण महाविद्यालय में अंशकालीन व्याखताओं को 150/– रूपये प्रति व्याख्यान, अधिकतम मासिक रू0 6000/– (छः हजार रूपये) मात्र का भुगतान किया जाता है। उक्त दर दिनांक 02.05.2002 से लागू है। कम मानदेय होने के कारण अंशकालीन व्याख्याता संस्थान को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अतः अंशकालीन व्याख्याता के मानदेय में बढ़ोतरी एवं अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यादेश निर्गत करने में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

2. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अंशकालीन व्याख्याताओं का प्रति व्याख्यान दर 150/ रूपये से बढ़ाकर 250/– रूपये है एवं वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में अधिकतम राशि निर्धारित करते हुए अंशकालीन व्याख्याता द्वारा अनुमानतः अधिकतम 50 व्याख्यान प्रतिमाह संस्थान में लिये जाने को आधार मानते हुए पूर्व से निर्धारित रू0 5000/– (पाँच हजार रूपये) मात्र से बढ़ोतरी कर रू0 12500/– (बारह हजार पाँच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह अधिकतम मानदेय किया जाता है।

3. प्रत्यके संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के आवश्यकतानुसार न्यूनतम संख्या में अंशकालीन व्याख्याताओं को स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्यादेश निर्गत करेगा।

4. संस्थान स्तर से प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर साक्षात्कार/चयन समिति से अनुशंसा प्राप्त कर आरक्षण संबंधी सभी नियमों का विधिवत अनुपालन संस्थान स्तर पर प्राचार्य/निदेशक करेगें एवं नियमानुसार रोस्टर पंजी भी संस्थानीय स्तर पर संधारित करते रहेगें। स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्य पर रखे गये अंशकालीन व्याख्याता इस कार्यानुमति आदेश के आधार पर किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति के दावेदार नहीं होगें, इस बात का उल्लेख संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से उनके कार्यानुमति आदेश पर किया जायेगा। अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति निर्गत करने के उपरान्त सभी मामलों को सूचीबद्ध कर संस्थान के निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य यह प्रमाण पत्र देगें कि सभी संस्थापित औपचारिकताएँ/नियमों, विशेष रूप से आरक्षण नियमों का अनुपालन किया गया है। यह प्रमाण पत्र प्रत्येक कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त संस्थान विभागीय निदेशक को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें। अंशकालीन व्याख्याता के मानदेय के विपत्र पर संस्थान के केवल वरीयतम व्याख्याता/विभागाध्यक्ष द्वारा ही वर्ग कार्य संबंधी सत्यापन किया जायेगा। वर्ग कार्य का सत्यापन पाठ्यक्रम में वर्णित विषय के विभिन्न Chapters में अंकित व्याख्याता संख्या के आलोक में किया जाना है। अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति

Scanned by CamScanner

(131) (130) (122)

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यादेश प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व संस्थान द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी भी अंशकालीन व्याखताओं को कार्यानुमति हेतु आदेश एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए निर्गत किया जायेगा। पूर्व में निर्गत संबंधित सभी कार्यादेश इसी शैक्षणिक सत्र तक लागू रहेगें। अंशकालीन व्याख्याता वर्ग कार्य के पूर्व Teaching Plan तैयार कर संस्थान को उपलब्ध करायेगें। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के उपरान्त संस्थान अंशकालीन व्याख्याताओं द्वारा लिये गये वर्ग कार्य का ब्योरा मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें।

5. ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला, सेसनल, इनभेजीलेसन (आंतरिक परीक्षा) जो एकेडमिक कार्य है, उसके लिए भी अंशकालीन व्याख्याता को व्याख्यान मानकर (प्रति व्याख्यान या प्रति घंटा का आधा) मानदेय का भुगतान किया जायेगा। परन्तु उक्त कार्य अधिकतम निर्धारित सीमा रू0 12500/– (बारह हजार पाँच सौ रूपये) मासिक के अंदर ही होगा। नये व्यवस्था के अन्तर्गत अंशकालीन व्याख्याता यदि एक से अधिक राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ग कार्य करते हैं तो भी अधिकतम मानदेय की राशि सभी संस्थान मिलाकर रू0 12500/– प्रतिमाह प्रति अंशकालीन व्याख्याता देय होगा। विशेषकर ध्यान रहे कि एक अंशकालीन व्याख्याता एक ही संस्थान में वर्ग अध्यापन एवं अन्य कार्य करे।

6. अंशकालीन व्याख्याताओं के शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य अहर्त्ताएँ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के नार्म्स के अनुरूप ही निर्धारित है।

7 बढ़े दर पर मानदेय का भुगतान आदेश निर्गत होने की तिथि से देय होगा एवं इसके पूर्व के लिए किसी प्रकार के बकाये का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26.11.10

(महेन्द्र प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0–22/01–02 3297 /राँची, दिनांक– 26.11.2010
प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस) झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 500 (पांच सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर इस विभाग को भेजें।

26.11.10

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0–22/01–02 3297 /राँची, दिनांक– 26.11.2010
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

26.11.10

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0–22/01–02 3297 /राँची, दिनांक– 26.11.2010
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/सभी विभागीय पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/खनन् संस्थान को सूचनार्थ प्रेषित।

26.11.10

सरकार के उप सचिव

Scanned by CamScanner

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ।

पत्र सं० वि०प्रा०व3-198/91 3942 / पटना, दिनांक 20.11.92

प्रेषक,

श्री रघुनन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

निदेशक, बी०आई०टी०सिन्दरी
प्राचार्य, बी०सी०ई०भागलपुर /एम०आई०टी०मुजफ्फरपुर /
सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं खनन संस्थान ।

विषय:- ट्यूटोरियल, लेब सेटिंग आदि कार्य को भी व्याख्यान मानते हुए अंशकालीन व्याख्याता को मानदेय भुगतान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे कहना है कि अंशकालीन व्याख्याता को प्रति व्याख्यान की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है ऐसा ज्ञात हुआ है कि अंशकालीन व्याख्याताओं से ट्यूटोरियल, लेब सेटिंग, सेसनल आदि का भी कार्य लिया जाता है जिससे व्याख्यान मानकर पारिश्रमिक भुगतान में कठिनाई होती है ।

अतः अनुरोध है कि ट्यूटोरियल, लेब सेटिंग, सेसनल, इनभेजीलेसन आदि जो एक एकेडेमिक कार्य है उनके लिए भी अंशकालीन व्याख्याता को व्याख्यान मानकर [illegible] कार्य किये गये घंटों का आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाय चाहे ये कार्य छुट्टियों में ही क्यों न कराये गये हों परन्तु यह भी ध्यान में रखा जाय कि इस कार्य के लिए अंशकालीन व्याख्याता के लिए प्रति व्याख्यान निर्धारित सीमा अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए 65 रू0 अधिकतम 1500 रू0 प्रतिमाह एवं राजकीय पोलिटेकनिक तथा खनन संस्थान के लिए प्रति व्याख्यान 60 रू0 अधिकतम 1300/- रू0 के अंदर हो । एक रिक्त पद के लिए जो वेतन उपलब्ध हो उससे ज्यादा अंशकालीन व्याख्याता नहीं हो चाहे इस पद के विरूद्ध एक से ज्यादा अंशकालीन व्याख्याता क्यों न काम कर रहे हों ।

विश्वास भाजन,
(हस्ताक्षर) 20/11/92
सरकार के अवर सचिव ।

63

55

झारखंड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी तथा सूचना तकनीकी

पत्र सं0–वि0प्रा0– 22/2001–2002 रांची, दिनांक–

प्रेषक,

श्री सुबोध प्रसाद गुप्ता
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, झारखंड
पो0–हिन्नू, रांची

विषय– विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक, महिला पोलिटेकनिक एवं खनन संस्थानों के अंशकालीन व्याख्याता के पारिश्रमिक के दरों में वृद्धि ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने पूर्णविचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक एवं खनन संस्थानों के अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान 150/–(एक सौ पचास) रु0 अधिकतम 5,000/–(पाँच हजार रुपये) प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा ।

2. सरकारी संस्था/उपक्रम में कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों द्वारा यदि ऐसे पोलिटेकनिक संस्थानों में अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है तो अपने उन्हें नियंत्री पदाधिकारी के अनुमति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिससे यह सुनिश्चित हो कि व्याख्यान देने के कार्य से सम्बन्धित कर्मी/अधिकारी का स्वयं का सरकारी कार्य बाधित नहीं होता है ।

3. विभागीय पत्रांक– 2100 दिनांक 8.8.94 द्वारा निर्गत सभी शर्तें एवं बन्धेज पूर्ववत रहेंगे ।

4. इस पर किसी प्रकार के बकाये का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा ।

5. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

6. इस पर होने वाले व्यय की व्यवस्था प्रशासी विभाग बजट में आवंटित राशि के तहत करेंगे ।

विश्वासभाजन

सरकार के उप सचिव ।

Scanned by CamScanner

में नियमित शिक्षकों को का

(62)

ापांक- रांची, दिनांक-

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एंव ावश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ापांक- 642 / रांची, दिनांक- 9.5.02

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी सभी सम्बन्धित कोषागारो को ूचनार्थ एंव आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 642 रांची, दिनांक- 9.5.02

प्रतिलिपि- प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक, राजकीय महिला पोलिटेकनिक एंव खनन संस्थानों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

Scanned by CamScanner